App – A
Crim-1

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान रामप्यारी बनाम गौरी — किस्म मुकदमा : अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 67/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.2025	मूल वाद के साथ श्री नरेन्द्र कुमार जाट एडवोकेट मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के जवाब पेश होने तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नम्बरान 2873 रकबा 0.1020, खसरा नम्बर 2874 रकबा 0.0759 खसरा नम्बर 2875 रकबा 0.0759 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम कस्बा निवाई पटवार मण्डल कस्बा निवाई तहसील निवाई में अप्रार्थीगण को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा मौके पर किसी प्रकार निर्माण कार्य आदि नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है। यदि इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें।. तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि से की जाकर एवं रजि0 एडि पेश नहीं करने पर यह आदेश स्वतः खारिज समझा जायेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 15/4/25 को पेश हो (Stamp: उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक))	
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। आज ... राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 30/6/25 को पेश हो।	
30/6/25	पत्रावली [illegible] प्रार्थना-पत्र बाबत [illegible] पत्रावली [illegible]	

अवलोकनार्थ आज पेश होने पर पत्रावली आज रिकार्ड को मूल वाद के साथ संलग्न होकर पेश हुई। मूल वाद में वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत वाद नोट-प्रेस किये जाने स्वीकार किया जाकर मूल वाद का निस्तारण आज दिनांक को किया जा चुका है। जिससे इस पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार बाद तकमील होकर मूल वाद के साथ दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)